

गो लव गार्ड,
सरिया,
उत्तार प्रदेश शासन।

गहरानिदेशक,
चिकित्सा संवैधानिक
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊः १८ दिनांक । जनवरी, १९९८

ठिलयः १ उत्तार प्रदेश के सरकारों द्वारा की चिकित्सा परिचय के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

१११ उपर्युक्त विषयक शासन देश संख्या-2428/5-7-97-294/96 दिनांक 23 जुलाई 1997 के अनुब्राह्म में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित चिकित्सा परिचय नियमावली 1997 प्रदूषणप्रति हौने तक राज्यपाल महोदय संदर्भित शासनादेश दिनांक 23-7-97 के प्रतिधान के साथ हो साथ भेजा राज्यप्रति विषयक शासनों द्वारा की गयी रूपरूप एवं उनके ॥ इसाए के आश्रित भूरभास की चिकित्सा पर हुए व्यथों को प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न उपचारों के अनुसर जारी हो जाने के बादेश भी प्रदान करते हैं : :-

११२ गैर सरकारों चिकित्सालयों में उपचार

११३ प्रदेश के शोतुर के गैर सरकारों चिकित्सालयों में चिकित्सा कराये जाने को रियति में संजय गांधी स्नातकोल्हृत आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को दरों पर अथवा धारात्रिक रूप जो भी कम हो, को प्रतिपूर्ति को जाएगो । यदि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में ऐसो चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध नहीं है तो प्रतिपूर्ति आरक्षों को दरों पर अथवा धारात्रिक रूप जो भी कम हो, को प्रतिपूर्ति को जाएगी किन्तु प्रदेश के बाहर ऐसो इच्छिता कराए जाने को स्थिति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को दरों पर प्रतिपूर्ति को जानेगो ।

११४ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यक्ष राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा उपचार कराए जाने की रियति में गोवशक्तानुसार यदि चिकित्सा द्वारा किसी विशेष परोक्षण पर हुए विशेष व्यथ को प्रतिपूर्ति अनुप्रयोग दी गो ।

११५ अधिकारों का प्रतिनिधान:-

प्रतिपार्ति द्वारे को अधिकारा
प्रतिपार्ति

प्रतिवर्त्ताधारकर्ता
अधिकारी

स्थीकर्ता अधिकारी

प्रदेश के अन्दर

₹ 12,000 रुपये तक

राजकीय चिकित्सालय का प्राप्तारो
चिकित्सा अधिकारी/अधिकारी जहाँ
उपचार विधा गया हो अथवा
जहाँ से संतर्भित किया गया हो ।

कार्यकारी । ।

₹ 2,000 रुपये से
अधिक किन्तु ₹ 10,000
रुपये तक

उपचार करने वाले अधिकार अधिकारी
करने वाले राजकीय चिकित्सालय
का प्राप्तारों चिकित्सा अधिकारी

विभागाधारी । ।

.....

३३४ १०,००० रुपये से
अधिक किन्तु ले ३०
२०,००० तक

३३५ ६० २०,००० रु
अधिक ।

प्रेषण के बाहर किन्तु देश के अन्दर : :-

निदेशक, विक्रिता

निदेशक, विक्रिता

शासन के प्राप्ति के विभाग

शासन के प्राप्ति के विभाग
द्वारा चिकित्सा ने आगे के
परामर्श एवं फिरा विभाग
को सहमति दी ।

रामस्त मामले

निदेशक, विक्रिता

शासन के प्राप्ति के विभाग
द्वारा चिकित्सा विभाग
के परामर्श एवं फिरा विभाग
को सहमति दी ।

३३६ शेष शर्तों पथावत् रहेंगी ।

३३७ यह आदेश वित्त विभाग को अशारकीय राख्या—जो—२४-१००४/दृ०-९७ दिनांक १० नवम्बर
१९९७ में प्राप्त उनको सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदोष,

बृंदावन
सचिव ।

संख्या-३९७५।।/५-६-९७-तददिनांक

प्रतिलिपि तिस्तलिचित को गृहनार्थ एवं ग्रावायड कार्यवाही हेतु प्रेषित : :-

- १- रामस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- २- रामस्त विभागाधीश, उत्तर प्रदेश ।
- ३- निदेशक चिकित्सा उपचार व्यास्था देवा महा निदेशालय, उत्तर प्रदेश ।
- ४- रामस्त मण्डलार्थका, उत्तर प्रदेश ।
- ५- रामस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- ६- रामस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- ७- रामस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक, जिला पुराष एवं महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश ।
- ८- रामस्त अनुभाग के रामस्त अनुभाग ।

निगमन हेतु प्राधिकृत

रमेश चन्द्र भार्गव
अनुभाग अधिकारी ।

आशा से,

रामेश चन्द्र भार्गव
विशेष लिख ।

CERTIFICATE_B

(To be completed in the case of patients who are admitted to hospital for treatment)

Certificate granted to Mrs./Mr./Miss _____ wife son daughter of Mr. employed in _____

Part A

I, Dr. _____ hereby certify

- (a) that the patient was admitted to hospital on the advice of _____ (Name of the medical officer or on my advice)
- (b) that the patient has been under treatment at _____ and that the undesignated medicines prescribed by me ~~as per~~ in this connection were essential for the recovery/ prevention of serious deterioration in the condition of the patient. The medicines are not stocked in the _____ (name of the hospital) for supply to private patients and do not include proprietary preparation for which cheaper or equal or equal therapeutic value are available nor preparation which are primarily for toiletts or disinfectants.

Name of Medicines

Price

1.

2.

3.

4.

5.

(c) that the injection administered/ were not for preventing of prophylactic purpose.

(d) that the patient is/ was suffering from _____ and is was under treatment from _____ to _____

(e) that the X-Rayotherapy test etc. for which an expenditure of Rs. _____ was incurred were necessary and were under taken on my advice at _____ (name of hospital or laboratory)

(f) that I called on Dr. _____ for a valid consultation and that the necessary approval of the _____ (Name of the Chief Administrative/ Administrative medical officer of the State) as required under the rules was obtained.

Signature and Designation
of the Medical officer in
charge of the Hospital

Part B

I certify that the patient has been under treatment at the _____ hospital and that all the services of the medical nurses etc. for which an expenditure of Rs. _____ was incurred were bills and receipts attached were essential for the recovery/ prevention of serious deterioration in the condition of the patient.

Signature of the Medical
Officer in charge of the
case at the hospital

COUNTERSIGNED

Medical Superintendent

Hospital

I certify that the patient has been under treatment
at the _____ hospital and that the
facilities previously mentioned in which were essential of
the patient's treatment.

Medical Superintendent

Place

Hospital